



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-15.06.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त समीर यादव को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चितईपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 31/2021, धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त समीर यादव पुत्र स्व0 फेकू यादव निवासी सीरगोवर्धनपुर थाना लंका जनपद वाराणसी को थाना चितईपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 15.06.2024 को मा0 न्यायालय ACJ - 04 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त समीर यादव उपरोक्त को धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी